//:: गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (म.प्र.) :://

क्रमांक 1256 /अका0/शोध/नि.मा./ बिलासपुर, दिनांक 05/12/98

प्रति,

~~डॉ० एल० पी० पटेरिया~~
~~उपाचार्य, व्यवसाय प्रशासन,~~
~~विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,~~
~~बिलासपुर (म०प्र०)~~

विषय:- ~~व्यवसाय प्रशासन~~ विषय में शोध निर्देशक मान्यता संबंधी ·

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 08.11.96/

-=0=-

महोदय/~~महोदया~~,

1/ शोध उपाधि समिति ~~व्यवसाय प्रशासन~~ ..... की बैठक दिनांक 26.11.98 के निर्णयानुसार आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों नुसार आपको ~~व्यवसाय प्रशासन~~ ------ विषय में शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

2/ एकीकृत शोध अध्यादेश क्र0-42 की कंडिका 7(iii)(c) के अनुसार मान्यता प्राप्त शोध निर्देशक यदि पाँच वर्ष के भीतर कोई शोध पत्र प्रकाशित कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उनके निर्देशन में कोई नया शोधार्थी पंजीकृत नहीं किया जावेगा । तद्नुसार मान्यता समाप्त हो जावेगी ।

उप-कुलसचिव (अकादमिक)

ल/C

धन्यवाद//

Scanned with CamScanner